

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)
CIN No. L40101DL1989GOI038121



Northern Region-1 Headquarters, SCO - Bay No.5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002

संदर्भ संख्या: पावरग्रिड/उ. क्षे.-I/आर. टी. आई /1927

दिनांक: 15.12.2020

सेवा में,

श्री अशोक कुमार,
फ्लेट न.ए-33, प्रथम तल, पार्सवनाथ सिटी फैजाबाद रोड,
लखनऊ, पिन-226028 (मो. न. 8299500936)

विषय : आपकी ऑन लाईन आर. टी. आई प्रार्थना पत्र Registration No.PGCIL/R/E/20/00462 Dt.03.11.2020 के संदर्भ में।

महोदय,

आप अपनी उपरोक्त ऑनलाईन आर. टी. आई. का संदर्भ ग्रहण करे जिसका जवाब हम अपने पत्र दिनांक 11.12.2020 के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में दे चुके है, परंतु आपके द्वारा जवाब हिंदी भाषा में मांगा गया है जो कि इस प्रकार है। उपरोक्त आर. टी. आई Registration No.PGCIL/R/E/20/00462 Dt.03.11.2020 सी. पी. आई ओ उ. क्षे.1के कार्यालय में दिनांक 20.11.2020 को प्राप्त हुई। आप उपरोक्त आर. टी. आई के माध्यम से बिंदु न.1 से 12 तक के संदर्भ में जानकारी चाही है। बिंदु न. 7 से 12 तक की जानकारी CPIO, NRTS-III ने अपने पत्र दिनांक 18.11.2020 के माध्यम से दे चुके है और यह बताया है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रश्न और कारणों पर आधारित है इसलिए जानकारी देना आर. टी. आई के दायरे से परे है।

बिंदु न. 1 से 6 तक CPIO, NR-I को जानकारी देने के लिए भेजे है। इस प्रकार CPIO, NRTS-III के पत्र दिनांक 18.11.2020 के लगातार प्रकरण में आपको बिंदुवार सूचित किया जाता है:


1. बिंदु न. 1 की जानकारी: इस बिंदु के माध्यम से आपने कारण पुछा है कि क्यों नहीं कराया गया, जिसका आर. टी. आई. के माध्यम से जानकारी देना आवश्यक नहीं है।

2. बिंदु न. 2 की जानकारी: इस बिंदु के संदर्भ में मानव संसाधन (HR Department) ने बताया है कि "स्थानांतरण का निर्णय संबंधित कार्यालय में मैनपावर की स्थिति एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है।"

3. बिंदु न. 3 से 6 तक और जो भी बिंदु सतर्कता विभाग या चार्ज सीट संख्या उ. क्षे.3/ Rihand/ 2019/ Confidential/1194 दिनांक 23.07.2019 से सम्बंधित है, इन सभी बिंदुओं के माध्यम से भी आप प्रश्न और कारण पुछ रहे है जिसका जवाब देना आर. टी. आई. के अंतर्गत नहीं आता फिर भी आपकी आर. टी. आई. सतर्कता विभाग को भेजी गई। इस संदर्भ में सतर्कता विभाग द्वारा बताया गया कि आपके ऑन लाईन आर. टी. आई. Registration No.PGCIL/R/E/20/00462 Dt.03.11.2020 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी आर. टी. आई. के नियम 8(1) (h) के अनुसार छुट प्राप्त के दायरे में है इसलिए मांगी गई जानकारी नहीं दे जा सकती।

धन्यवाद

भवदीय


15/12

[आदर्श श्रीवास्तव]

वरि. महा प्रबंधक (PESM)

Designated CPIO, NR-I, POWERGRID,
Faridabad-121102 Phone No.0129-2666303